न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा– 46(1) ए के तहत

अनुमति वाद संख्या –आर०. एम० 24/2022–23

ठाकुर मुण्डा...विक्रेता

बनाम

सामुएल अमन टोप्पो ....क्रेता

आदेश की तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
1	2	3

20/12/2022

विक्रेता का नाम एवं पता– ठाकुर मुण्डा पिता–स्व० तेजमोहन मुण्डा निवास ग्राम–लोण्डरा, पो०–उलीडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–मुण्डा, पेशा–खेती।

क्रेता का नाम एवं पताः– सामुएल अमन टोप्पो पिता–.लुकस टोप्पो, निवास ग्राम–तमाड़, पो०–तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–उराँव पेशा–व्यवसाय।

विद्वान अधिवक्ता का नामः– श्री परमेश्वर महतो।

विकेता के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 28/06/2022 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (1) ए के तहत क्रेता सामुएल अमन टोप्पो पिता–.लुकस टोप्पो, निवास ग्राम–तमाड़, पो०–तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–उराँव पेशा–व्यवसाय के हाथों निम्नलिखित जमीन की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी

मौजा–लोण्डरा, थाना–तमाड़, थाना सं०–150

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
08	174	1.28 एकड़ मध्ये 01 एकड़ 17½ डी०	उ०–एन० एच० 33 द०–प्लॉट संख्या 173 पू०–प्लॉट संख्या 169 प०–प्लॉट संख्या 615, 175, 625

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी तमाड़ का पत्रांक–555 (।।) दिनांक 15/12/2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो निम्नवत हैः–

1. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत केदार मुण्डा वल्द ठाकुर मुण्डा के नाम से दर्ज है।
2. खतियानी रैयत/पंजी ।। रैयत से आवेदक का संबंध परपोता का है।
3. पंजी–।। के अनुसार रैयत का नाम पोड़ा मुण्डा है ।
4. आवेदक पंजी–।। रैयत से परपोता है।
5. प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2013–2014 तक वसूली की गई है।
6. खतियानी के आधार पर जमाबंदी कायम है।
7. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म है।
8. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में आवेदक/आवेदिका के हिस्सेदारों की आपत्ति नहीं है।
9. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में अवेदक/आवेदिका का पूर्ण अंश है।
10. प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकवा–19.07½ एकड़ जमीन शेष रह जायगा।
11. विक्रेता प्रस्तावित जमीन को मकान बनाने हेतु बिक्री कर रहे है।

12. प्रस्तावित भूमि की बिक्री किसी संस्था/सरकारी/समिति के पास नहीं की जा रही है।
13. विक्रेता एवं क्रेता दोनों आदिवासी समुदाय के है।
14. क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है।
15. आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल है। आवेदिम भूमि का पूर्व में बिक्री नहीं की गई है।
16. आवेदित भूमि की जमाबंदी किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं चल रहा है।
17. आवेदित जमीन भूमि घोटाला/वन भूमि/मसना/सरना/हड़गड़ी एवं अन्य न्यायिक मामलों से संबंधित नहीं है।
18. बिक्री के पश्चात भी आवेदक के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि बचता है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी तमाड़ ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (1) ए के तहत विक्रेता ठाकुर मुण्डा पिता–स्व० तेजमोहन मुण्डा निवास ग्राम–लोण्डरा, पो०–उलीडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–मुण्डा, पेशा–खेती ने क्रेता/विपक्षी सामुएल अमन टोप्पो पिता–.लुकस टोप्पो, निवास ग्राम–तमाड़, पो०–तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–उराँव पेशा–व्यवसाय के हाथों बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

अतः अंचल अधिकारी तमाड़ के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित जमीन की विक्रेता ठाकुर मुण्डा पिता–स्व० तेजमोहन मुण्डा निवास ग्राम–लोण्डरा, पो०–उलीडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–मुण्डा, पेशा–खेती को क्रेता/विपक्षी सामुएल अमन टोप्पो पिता–.लुकस टोप्पो, निवास ग्राम–तमाड़, पो०–तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–उराँव पेशा–व्यवसाय के हाथों बिकी करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (।) ए के तहत दी जाती है तथा अवर निबंधक बुण्डू/जिला अवर निबंधक राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित जमीन की विकी सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगें।

बिकी हेतु अनुमति भूमि विवरणी

मौजा–लोण्डरा, थाना–तमाड़, थाना सं०–150

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
08	174	1.28 एकड़ मध्ये 01 एकड़ 17½ डी०	उ०–एन० एच० 33 द०–प्लॉट संख्या 173 पू०–प्लॉट संख्या 169 प०–प्लॉट संख्या 615, 175, 625

लेखापित एवं सशोंधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.02.15 17:06:22 +05:30
Location: 10.93.79.19